झारखण्ड सरकार

# कार्यालय
# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़
(जिला पंचायत शाखा)

## –:: आदेश ::–

श्री जाकिर हुसैन, पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, अमड़ापाड़ा के पचुवाड़ा पंचायत एवं डुमरचीर पंचायत के पदस्थापन अवधि दिनांक 01.04.2011 से 15.05.2013 तक मनरेगा योजनान्तर्गत कियान्वित विभिन्न योजनाओं में छल–कपट का सहारा लेकर अपराधिक षड़यंत्र रचकर दुर्विनियोग के सहारे कुल **1,14,41,383.00 (एक करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार तीन सौ तिरासी) रूपये** सरकारी लोकधन का गबन कर लिये जाने के कारण प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा के पत्रांक 713, दिनांक 05.10.2017 के द्वारा श्री हुसैन के विरूद्ध कुल 12 आरोप गठित कर आरोप पत्र, प्रपत्र 'क' जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पाकुड़ को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

प्राप्त प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु श्री हीरालाल मंडल, निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़ को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमड़ापाड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1465/स0ज0वि0अभि0, दिनांक 28.07.2018 के द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में श्री हुसैन पर प्रपत्र 'क' में अधिरोपित सभी आरोप सही पाए गए।

आरोप प्रमाणित पाए जाने पर वृहद दण्ड देने के पूर्व श्री हुसैन को अपने बचाव में अंतिम अवसर देते हुए द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गई। श्री हुसैन के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य एवं कोई साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया गया।

उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि श्री जाकिर हुसैन, पंचायत सचिव के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचके, भ्रष्टाचार कर दुर्विनियोग के सहारे **1,14,41,383.00 (एक करोड़ चौदह लाख इकतालीस हजार तीन सौ तिरासी) रूपये** लोकधन का गबन किया गया है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। श्री हुसैन सरकारी सेवा में और बने रहने योग्य नहीं है।

अतः ''झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2002'' के नियम– 19 एवं संशोधित आदेश, 2014 के कण्डिका 18 के आलोक में ''झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016'' के नियम– 14 (xi) के तहत् **श्री जाकिर हुसैन, पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है।**

सेवा से मुक्त सरकारी सेवक का विवरण निम्नवत् है :–

**01. नाम** – श्री जाकिर हुसैन
**02. पिता का नाम** – स्व0 फुरकान शेख
**03. स्थायी पता** – ग्राम+पो0– पृथ्वीनगर, थाना– पाकुड़ (मुफसिल), जिला– पाकुड़
**04. पदनाम** – पंचायत सचिव
**05. वेतनमान** – 5200–20200, ग्रेड वेतन– 2000
**06. जन्म तिथि** – 20.01.1965
**07. नियुक्ति की तिथि**– 06.11.1996
**08. सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की तिथि**–.......26/09/2018

(हस्ताक्षर) 25/9/18
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

(कृ0पृ0उ0)